स्मरण–पत्र

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(क)(या)( )डीएलबी/16/9693-99 दिनांकः 27/12/2016

उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त राजस्थान।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में विभागीय अधिनियमों नियमों/विनियमों को विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध (upload) कराने के संबंध मे।

प्रसंगः– इस विभाग का पत्र क्रमांक 2995–3002 दिनांक 14.06.16 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि डी0बी0 पीआईएल पिटीशन नं. 14730/14 सुओमोटो बनाम राज. राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.15 की पालनार्थ राज्य में प्रचलित समस्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों को 4 माह में राज्य सरकार /विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित कर, अनुपालना कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु की गई कार्यवाही से अवगत नही कराया गया है। मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.09.15 का operative portion निम्नानुसार हैः–

7. "We, therefore directed the Chief Secretary, Government of Rajasthan to ensure that the Rules framed by the Government of Rajasthan in exercise of power under proviso to Article 309 of the Constitution of India for various departments of State Government and other public authorities should be uploaded on the website of the State of Rajasthan or the concerned department within a period of four months. As and when any amendement is carried out in the Rules, the same shall also be incorporated in the Rules made available on the website so that a person requiring a copy of the Rules can have the updated version. The Rules/Regulations/Instructions issued by various departments and public authorities shall also be uploaded on the website within the aforesaid period. The Chief Secretary of the State of Rajasthan shall also call a meeting of the Heads of the Boards/Corporations to direct them to do the same exercise mamely, uploading of Rules/Regulations/ Instructions issued by them on their concerned websites within four months.

8. We further direct that all these Rules/Instructions/ Regulations shall also be published in the Government Gazette and be made available for sale at nominal rate to public at all the District headquarters within a period of four months.

The petition is disposed of with these directions. However compliance report shall be submitted by the Chief Secretary on affidavit before the Registrar General of this High Court."

मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में राज्य सरकार द्वारा पालना प्रतिवेदन/शपथ पत्र माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है। आपके अधीनस्थ समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में प्रचलित अधिनियमों/नियमों एवं विनियमों को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने एवं आम जन को जिला मुख्यालयों पर आदेशानुसार उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जावे तथा आपके स्तर पर समीक्षा उपरान्त सम्पूर्ण पालना रिपोर्ट प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में तत्काल उपलब्ध करावे ताकि प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग को अवगत कराया जा सके।

इसे उच्च प्राथमिकता दी जावे।

संलग्नः– प्रपत्र–1 व प्रपत्र–2 ।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.8(क)(या)( )डीएलबी/16/9700-9708 दिनांकः 27/12/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग सचिवालय को अ.शा.टीप क्रमांक प. 29(20)प्र.सु./अनु–1/2014 दिनांक 20.09.16 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ राजस्थान।
3. समस्त अनुभाग प्रभारी अधिकारी, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
4. नोडल अधिकारी, निदेशालय को विभाग से संबंधित सभी नियम, विनियम एवं दिशा निर्देशों को वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
5. सुरक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

D/DLB/ramdhain ji latter 2014

विभागीय अधिनियम, नियम/विनियम एवं निर्देशों के विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशन की सूचना

प्रपत्र–1

विभाग का नामः– .....

क.सं.	अधिनियम	वैबसाईट पर प्रकाशित (up load) करने का दिनांक	विभागीय वैबसाईट का विवरण	गजट नोटिफिकेशन की सूचना

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग

.....

अशा.टीप सं. प. ( )

प्रपत्र–2

विभाग का नामः.....

क.सं.	नियम/विनियम/निर्देश	वैबसाईट पर प्रकाशित (up load) करने का दिनांक	विभागीय वैबसाईट का विवरण	गजट नोटिफिकेशन की सूचना

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
प्रशासनिक सुधार विभाग

.....

अशा.टीप सं. प. ( )